राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

वाद संख्या–7/2020 दायर दिनांकः– 13.08.2020

पीठासीन अधिकारीः–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. राजूदेवी पत्नि छिगनाराम जाति जाट, निवासी ग्राम भड़सिया, तहसील परबतसर, जिला–नागौर।

.......अपीलार्थीया

बनाम

1. ग्राम पंचायत अमरपुरा, तहसील रुपनगढ, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत अमरपुरा, अजमेर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान।

........प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांकः–24.03.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.05 16:33:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अमरपुरा हल्का अमरपुरा तहसील रुपनगढ जिला अजमेर में श्रवणीदेवी पत्नि प्रतापराम जाति जाट निवासी सांवतसर हाल निवासी अमरपुरा तहसील रुपनगढ की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 148/3 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा 5 बिस्वांसी स्थित थी। अपीलार्थी ने भूमि खसरा नम्बर 148/3 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा 5 बिस्वांसी भूमि खातेदार श्रवणी देवी पत्नि प्रतापराम जाति जाट से दिनांक–31.05.2005 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के क्रय किया है। विक्रय पत्र उप पंजीयक रुपनगढ द्वारा दिनांक–31.05.2005 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 22 क्रम संख्या 439 पृष्ठ संख्या 88 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 32 के पृष्ठ संख्या 326 से 332 तक चस्पा किया जाकर पंजीबद्ध किया गया है कि अपीलार्थीया द्वारा विक्रय पत्र की प्रति नामान्तरकरण खुलवाये जाने हेतु हल्का पटवारी को दे दी थी। हल्का पटवारी ने आश्वस्त किया था कि आपका विक्रय का नामान्तरण खुल जायेगा, आप निश्चिन्त रहें। हल्का पटवारी के आश्वासन पर अपीलार्थीया निश्चिन्त हो गई। अपीलार्थीया नामान्तरण के संबंध में निश्चिन्त हो गई कि नामान्तरण उसके नाम खुल गया है और इस बाबत् अपीलार्थीया निश्चिन्त हो गई। अपीलार्थीया द्वारा दिनांक–04.08.2020 को अपने राजस्व रिकॉर्ड देखा गया तो अपीलार्थीया को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि अपीलाधीन भूमि में विक्रेती का नाम इन्द्राज बदस्तूर चला आ रहा है तथा अपीलार्थीया के नाम का नामान्तरण का कोई इन्द्राज किया हुआ नही है। अपीलार्थीया द्वारा दिनांक–04.08.2020 को विक्रय नामान्तरण की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिसकी नकल तहसीलदार रुपनगढ द्वारा अपीलार्थीया को दिनांक–04.08.2020 को दी गई। अपीलार्थीया को नकल प्राप्ति पर जानकारी हुई की नामान्तरण संख्या 213 प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा 22.08.2005 को अस्वीकार कर दिया गया। अपीलार्थीया द्वारा नामान्तरण संख्या 213 की नकल लेने पर अपीलार्थीया को जानकारी हुई कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक–21.07.2005 को नामान्तरण भरकर जांच कर दी गई। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट का अंकन इस प्रकार है, 'श्रीमान् जी निवेदन है कि श्रवणी देवी ने खसरा नम्बर 148/3 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा 5 बिस्वांसी का बैचान किया है अतः आदेशानुसार बेचान का नामान्तरण भरकर वास्ते जांच व उचित आदेशार्थ पेश है' तथा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक–27.07.2005 को नामान्तरण के समस्त अंकन दुरस्त होने संबंधी रिपोर्ट दी गई जो इस [illegible] जमाबंदी एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं आदेश एल.आर./430/ दिनांक–14.07.2005 के अंकन [illegible] है। ग्राम पंचायत अमरपुरा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा हल्का पटवरी व गिरदावर की रिपोर्ट करने के पश्चात् [illegible] संख्या 2 दिनांक 22.08.2005 को पंचायत भवन बैठक में अस्वीकृत किया गया है का पृष्ठांकन करते हुए [illegible] संख्या 213 को दिनांक 22.08.2005 को अस्वीकार कर खारिज कर दिया जो कि गलत, विधि विरुद्ध [illegible] है। अपीलार्थीया के नाम बैचान के नामान्तरण को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा गलत रुप से बिना किसी [illegible] आधार के मनमाने तरीके से अस्वीकृत किया गया है। दिनांक–04.08.2020 को अपीलार्थीया द्वारा अपने

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

खाते की जानकारी लेने पर अपीलार्थीया को जानकारी हुई कि अपीलार्थीया के विक्रय की गई भूमि के खाते में आज भी विक्रेती का नाम चला आ रहा है तब अपीलार्थीया ने तहसील कार्यालय किशनगढ में दिनांक–04.08.2020 को अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 213 की नकल प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी नकल दिनांक–04.08.2020 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त करने पर अपीलार्थीया को जानकारी हुई थी कि नामान्तरकरण संख्या 213 दिनांक–22.08.2005 को अस्वीकृत किया जा चुका है। प्रथ्यर्थी संख्या 1 द्वारा गलत व विधि विरुद्ध नामान्तरण अस्वीकृत करने के आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। प्रत्यर्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुये। प्रकरण में प्रत्यर्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम पंचायत अमरपुरा की बैठक कार्यवाही दिनांक 22.08.2005 के प्रस्ताव संख्या 3 (2) अनुसार ग्राम अमरपुरा का नामान्तरकरण संख्या 213 निर्णय हेतु पेश होने पर ग्राम पंचायत कोरम द्वारा कब्जा संबंधी विवाद होने से उक्त नामान्तरकरण अस्वीकार किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम अमरपुरा की वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 236/148 (पुराना खसरा नम्बर 148/3) रकबा 3.6425 है0 (22–10–05 बीघा) श्रवणी देवी पत्नि प्रतापराम जाति जाट निवासी सांवतसर, हाल अमरपुरा खातेदार के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कमांक 439 दिनांक–31.05.2005 पर पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय रुपनगढ के अनुसार श्रीमान् नायब तहसीलदार रुपनगढ के आदेश कमांक/एलआर/430 दिनांक–14.07.2005 की पालना में ग्राम अमरपुरा के खसरा नम्बर 148/3 रकबा 22–10–05 बीघा में विक्रेता श्रवणी देवी पत्नि प्रतापराम जाति जाट निवासी सांवतसर हाल अमरपुरा खातेदार के स्थान पर क्रेता अपीलार्थीया राजुदेवी पत्नि छिगनाराम कौम [illegible]सिया, तहसील परबतसर जिला नागौर के पक्ष में ग्राम अमरपुरा का नामान्तरकरण संख्या 213 दिनांक [illegible].07.2005 को पटवारी हल्का अमरपुरा द्वारा दर्ज किया गया था जिसकी भू–अभिलेख निरीक्षक करकेडी द्वारा दिनांक–27.07.2005 को जांच की गई थी एवं ग्राम पंचायत अमरपुरा की मीटिंग दिनांक–22.08.2005 में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसको ग्राम पंचायत अमपुरा द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 213 को अस्वीकृत कर दिया गया था। प्रकरण में अपील साक्ष्य हेतु श्रवणीदेवी पत्नि प्रतापराम जाति जाट निवासी सांवतसर की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत पेश किया जिस पर बयान लिये गये।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस सुनी। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन एवं बहस अनुसार अपीलार्थीया की अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होती है। अतः अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम अमरपुरा के खसरा नम्बर 236/148 (पुराना खसरा नम्बर 148/3) के संबंध में दिनांक–31.05.2005 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 22 कम संख्या 439 पृष्ठ संख्या 88 पर पंजीबद्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार नवीन नामान्तरकरण दर्ज कर नियमानुसार फैसल की कार्यवाही करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.05 16:33:13 IST
Reason: SelfAttested